**एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण बाबींकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण**

**महाराष्ट्र शासन**
**महिला व बाल विकास विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१३५/का.०६**

नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक :- २८ जुलै,२०२३

**वाचा :-** वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२२.

**शासन निर्णय:-**

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर योजनेतंर्गत प्रकल्पामधील सर्वसाधारण बाबींकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-३ येथे नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ५८९१.६१ लाख एवढा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(रुपये लाखात)

| अ.क्र. | योजनेचे नाव/लेखाशिर्ष/उद्दिष्ट/ संगणक सांकेतांक | अर्थसंकल्पित तरतूद २०२३-२४ | या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत असलेला निधी |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १. | **२२३६-पोषण आहार**<br>**०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण**<br>**१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम**<br>**(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प**<br>**(०८(०१) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (सर्वसाधरण खर्च) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम)**<br>**२२३६ १९०९ ,** ३१- सहायक अनुदाने वेतनेतर | ६६१३.२० | १३२२.६० |
| २. | **(०८(०२) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (सर्वसाधारण खर्च) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम)**<br>**२२३६ १९१८,** ३१- सहायक अनुदाने वेतनेतर | ४४०८.८० | ८८१.७६ |
| ३. | **(०८(०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (सर्वसाधरण खर्च) (अतिरीक्त राज्य हिस्सा १००%) (कार्यक्रम)**<br>**२२३६ १९४५** | | |
| | ०३- अतिकालीक भत्ता | २.५० | ०.५० |
| | ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | ३०.०० | ६.०० |
| | ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च | १००.०० | २०.०० |
| | १३- कार्यालयीन खर्च | ७५.०० | १५.०० |
| | १४- भाडे पट्टी व कर | २००.०० | ४०.०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | १७- संगणक खर्च | ३१.२० | ६.२० |
| | २४- पेट्रोल, तेल व वंगण | ४.०० | ०.८० |
| | ३१- सहा. अनु.वेतनेतर | ३५०.०० | ७०.०० |
| | **एकूण (३)** | **७९२.७०** | **१५८.५०** |
| ४. | **(००)(०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने ( स्थानिक क्षेत्र ) (केंद्र हिस्सा ६०%) २२३६ १९७२,** ३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ५०११.८३ | १००२.३६ |
| ५. | **(००)(०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने ( स्थानिक क्षेत्र ) (राज्य हिस्सा ४०%) २२३६ १९८१,** ३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ३३४१.२२ | ६६८.२४ |
| ६. | **(००)(०६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने ( स्थानिक क्षेत्र ) (अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) २२३६२१७३,** ३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ९२९०.७९ | १८५८.१५ |
| | **एकुण सर्व** | **२९४५८.५४** | **५८९१.६१** |

३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११६/१४७२, दिनांक ०२.०६.२०२३ तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७०/ व्यय-६, दिनांक ०३.०७.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७२८१५३५२८७८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

VILAS RAMDAS THAKUR

Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6fa70d9fd209eb9efc83bdd68b308614534, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B44101C838AEA34F29FBFF0AEBE9D85C3DE3468C2, cn=VILAS RAMDAS THAKUR
Date: 2023.08.08 16:47:17 +05'30'

**( वि. रा.ठाकूर )**
**उप सचिव, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत :-**

१) मा. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर,
२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई,
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व),

४) मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
५) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. वि.), जिल्हा परिषद (सर्व),
६) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी /ग्रामीण / आदिवासी),
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,
९) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७), मंत्रालय, मुंबई,
१०) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
११) निवड नस्ती -का-६.